

## राजनीतिक संगठन और वदेशी धन

### प्रीलिम्स ले लिये:

वदेशी योगदान (वनियमन) अधिनियम, (FCRA) 2010

### मेन्स के लिये:

राजनीतिक घोषित कर संगठनों को प्रतिबंधित करने संबंधी मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी संगठन को 'राजनीतिक' घोषित कर उसे वदेशी धन प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है।

## पृष्ठभूमि

- ध्यातव्य है कि बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने वदेशी योगदान (वनियमन) अधिनियम, (FCRA) 2010 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए कई गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को वदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया।
- केंद्र सरकार के इस प्रतिबंध को लेकर इंडियन सोशल एक्शन फोरम (INSAF) नामक NGO ने एक याचिका दायर की जिसमें वदेशी योगदान (वनियमन) अधिनियम, (FCRA) 2010 और वदेशी योगदान (वनियमन) नियम, 2011 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई।

## FCRA के प्रावधान जिन्हें चुनौती दी गई

- **FCRA की धारा 5(1)**
  - यह प्रावधान केंद्र को यह तय करने की अनुमति देता है कि वास्तव में कोई गैर-राजनीतिक संगठन राजनीतिक प्रकृतिका है या नहीं। INSAF का कहना है कि FCRA की धारा 5(1) काफी अधिक अस्पष्ट है, असंवैधानिक बनाता है।
- **FCRA की धारा 5(4)**
  - INSAF का तर्क है कि अधिनियम की इस धारा में उस प्राधिकरण को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है जिसके समक्ष एक संगठन सरकार द्वारा राजनीतिक घोषित होने पर इस नरिणय को चुनौती दे सके।

## न्यायालय का नरिणय

- जस्टिस एल. नागेश्वर राव और दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा है कि 'कोई भी संगठन जो एक राजनीतिक लक्ष्य या उद्देश्य के बिना अपने अधिकारों के लिये संघर्षरत नागरिकों के समूह का समर्थन करता है, उसे राजनीतिक प्रकृतिका के संगठन के रूप में घोषित करके दंडित नहीं किया जा सकता है।'
- हालाँकि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संगठन अपने राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये संसाधनों का प्रयोग करता है तो उसकी वदेशी फंडिंग पर रोक लगाई जा सकती है।
- न्यायालय ने अपने नरिणय में किसानों, श्रमिकों, छात्रों, युवाओं आदिके संगठनों या जाति, समुदाय, धर्म, भाषा आधारित संगठनों को समान वरीयता दी है।
- न्यायालय के अनुसार, 'यदि किसी संगठन के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन (Memorandum of Association) में संगठन के राजनीतिक उद्देश्यों को स्वीकृत किया गया है, तो उस संगठन को वदेशी धन प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।'

## वदेशी योगदान (वनियमन) अधिनियम

- भारत सरकार ने वदिशी योगदान की स्वीकृति और वनियिमन के उद्देश्य से वर्ष 1976 में वदिशी योगदान (वनियिमन) अधनियिम (FCRA) लागू कयिा ।
- इसके तहत राजनीतिक प्रकृति का कोई भी संगठन, ऑडियो, ऑडियो वजुअल न्यूज़ या करेंट अफेयर्स कार्यक्रम के नरिमाण और प्रसारण में लगे कसिी भी संगठन को वदिशी योगदान स्वीकार करने के लयि प्रतबिंधति कयिा गया है ।

## नषिकर्ष

कसिी भी संगठन को मात्र इस आधार पर दंडति करना कि वह अपने अधिकारों के लयि संघर्ष कर रहे लोगों के समूह का समर्थन करता है, कसिी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता है । आवश्यक है कि नीति निर्माता इस संदर्भ में अपने नरिणय पर पुनः वचिार करें और न्यायालय द्वारा दयि गए नरिदेशों का पालन कयिा जाए ।

## स्रोत: द हट्टि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/centre-can-brand-an-organisation-as-political-for-aiding-a-public-cause>

